## तालिका - 2 : पर्यावरण प्रबंधन योजना

| परियोजना की                  | संभावित प्रभाव    | प्रस्तावित प्रशमन उपाय                  | निरीक्षण किए जाने      | मापन और आवृत्ति    | संस्थागत     | क्रियान्वयन         |
|------------------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| गतिविधी/चरण                  |                   |   | वाले मानक              |                    | उत्तरदायित्व | कार्यक्रम           |
| निर्माणपूर्व                 |                   |   |                        |                    |              |                     |
| ट्रांसमिशन टॉवरों की         | स्रक्षा के खतरों  | स्थलों पर विद्युत की फ्रीक्वेंसी        | निकटस्थ निवास          | निकटस्थ निवास      | पावरग्रिड    | टॉवर के निर्माण     |
| ्र<br>अवस्थिति और ट्रांसमिशन | े<br>से संबंधित   | े .<br>के स्वीकृत स्तर और पर्यवेक्षण के |                        | स्थानों से सेट बैक |              | स्थल चयन के         |
| लाईन संरेखण और डिजायन        |                   | नियंत्रण के अनुसार तैयार किए            | टॉवर की अवस्थिति       | दूरियां - एक बार   |              | सर्वेक्षण और        |
|                              |                   | गए ऑवरहैड लाईन रूट के पास               | और लाईन के संरेखन      |                    |              | विस्तृत संरेखन      |
|                              |                   | रिहायशी घरों का सेटबैक                  | का चयन                 |                    |              | सर्वेक्षण और        |
|                              |                   |   |                        |                    |              | डिजाइन का भाग।      |
| उपकरण / स्पेसिफिकेशन         | रिसेप्टरों (वायु, | सब-स्टेशन के ट्रांसफार्मरों या          | ट्रांसफार्मर का डिजाइन | निविदा के          | पावरग्रिड    | उपकरण के लिए        |
| विनिर्देश और डिजाइन          | जल, भूमि) में     | अन्य परियोजना सुविधाओं या               |                        | विनिर्देशन में     |              | निविदा विनिर्देशनों |
| मानक                         | रसायनों और        | उपकरणो में पीसीबी प्रयुक्त नहीं         |                        | ट्रांसफार्मरों में |              | का भाग              |
|                              | गैस का            | किए जाते हैं।                           |                        | पीसीबी के          |              |                     |
|                              | बहिस्राव          |   |                        | बहिष्करण का        |              |                     |
|                              |                   |   |                        | उल्लेख - एक बार    |              |                     |
|                              |                   | प्रक्रिया, उपकरण और प्रणालियों          | प्रक्रिया, उपकरण और    | निविदा विनिर्देशन  | पावरग्रिड    | उपकरण के लिए        |
|                              |                   | में हेलोन सहित                          | प्रणाली डिजाइन         | में सीएफसी को      |              | निविदा विनिर्देशन   |
|                              |                   | क्लोरोफ्लूरोकार्बन्स (सीएफसी)           |                        | बाहर रखना-एक       |              | का भाग              |
|                              |                   | का उपयोग नहीं किया जाए और               |                        | बार                |              |                     |
|                              |                   | यदि मौजूदा प्रक्रियाओं और               |                        |                    |              |                     |
|                              |                   | प्रणालियों में उनका कोई                 |                        |                    |              |                     |

|                        |                    | उपयोग किया जाता है, तो          |                            | अगर वर्तमान में   |           | उपकरण और          |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
|                        |                    | • ,                             |                            |                   |           |                   |
|                        |                    | इनको चरणबध्द तरीके से           |                            | प्रयोग हो रहा हो  |           | प्रक्रिया डिजाइन  |
|                        |                    | सरकार के नियमानुसार हटाया       |                            | तो चरणबद्ध        |           | का भाग            |
|                        |                    | जाये।                           |                            | तरीके से हटाने का |           |                   |
|                        |                    |                                 |                            | कार्यक्रम तैयार   |           |                   |
|                        |                    |                                 |                            | किया जाए-एक बार   |           |                   |
| पारेषण लाईन डिजाइन     | इलेक्ट्रोमेग्नेटिक | ऑवरहैड पॉवरलाईन से              | प्रस्तावित लाईन            | लाईन डिजाइन के    | पावरग्रिड | विस्तृत संरेखन    |
|                        | हस्तक्षेप के       | इलेक्ट्रोमेग्नेटिक हस्तक्षेप की | डिजाइन के लिए              | संबद्ध मानकों का  |           | सर्वेक्षण और      |
|                        | प्रति अरक्षितता    | सीमाओं का अनुपालन करते हुए      | इलेक्ट्रोमेग्नेटिक क्षेत्र | अनुपालन करना -    |           | डिजाइन का भाग     |
|                        |                    | ट्रांसमिशन लाईन डिजाइन          | की क्षमता                  | एक बार            |           |                   |
| सब-स्टेशन की अवस्थिति  | शोरगुल के प्रति    | संयंत्र के परिसरों के डिजाइन को | सब-स्टेशन के               | विनियमों का       | पावरग्रिड | विस्तृत स्थल      |
| और डिजाइन              | अरक्षितता          | शोरगुल संबंधी विनियमों का       | डिजाइन के आधार पर          | अनुपालन - एक बार  |           | सर्वेक्षण और      |
|                        |                    | अन्पालन करना                    | आपेक्षित शोरग्ल का         |                   |           | डिजाइन का भाग     |
|                        |                    | Š                               | उत्सर्जन                   |                   |           |                   |
| ट्रांसिमशन टॉवरों की   | जलाशयों और         | ट्रांसिमशन टॉवरों की            | ट्रांसमिशन टॉवरों की       | स्थानीय           | पावरग्रिड | विस्तृत टॉवर स्थल |
| अवस्थिति और ट्रांसमिशन | भूमि पर प्रभाव     | अवस्थिति पर विचार करना कि       | अवस्थिति और लाईन           | प्राधिकारियों और  |           | सर्वेक्षण और      |
| लाईन संरेखन और डिजाइन  |                    | उनको कहां स्थापित किया जाए      | संरेखन का चयन              | भूमि के मालिकों   |           | विस्तृत संरेखन    |
|                        |                    | ताकि जलाशयों या कृषि योग्य      | (जलाशयों और/या             | के साथ परामर्श -  |           | सर्वेक्षण और      |
|                        |                    | भूमि को बचाया जा सके।           | कृषि भूमि से दूरी)।        | एक बार            |           | डिजाइन का भाग     |
|                        |                    | ``                              | · · · · · ·                |                   |           |                   |
|                        | सामाजिक            | मौजूदा आबादी को बचाने के        | ट्रांसमिशन टॉवरों की       | स्थानीय           | पावरग्रिड | विस्तृत टॉवर स्थल |
|                        | असमानता            | लिए सावधानी से पथ का चयन        | अवस्थिति और लाईन           | प्राधिकारियों और  |           | सर्वेक्षण और      |
|                        |                    |                                 | संरेखन का चयन              | भूमि के मालिकों   |           | विस्तृत संरेखन    |
|                        |                    |                                 | (निकटस्थ घरों अथवा         | के साथ परामर्श -  |           | सर्वेक्षण और      |
|                        |                    |                                 | सामाजिक संस्थानों से       | एक बार            |           | डिजाइन का भाग     |
|                        |                    |                                 | दूरी)।                     |                   |           |                   |
|                        |                    |                                 | •                          |                   |           |                   |

|                                 |                 | उक्ति भूमि अधिमनम् उपने जी     | ट्रांसमिशन टॉवरों की  | स्थानीय            | पावरग्रिड   | नियान संस्य स्थान |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                 |                 | कृषि भूमि अधिग्रहण करने की     |                       |                    | । पावराग्र5 | विस्तृत टॉवर स्थल |
|                                 |                 | आवश्यकता को न्यूनतम करना।      | अवस्थिति और लाईन      | प्राधिकारियों और   |             | सर्वेक्षण और      |
|                                 |                 |                                | संरेखन का चयन (कृषि   | _ · •              |             | विस्तृत संरेखन    |
|                                 |                 |                                | भूमि से दूरी)।        | के साथ परामर्श -   |             | सर्वेक्षण और      |
|                                 |                 |                                |                       | एक बार             |             | डिजाइन का भाग     |
| अनैच्छिक पुनर्वासन अथवा         | सामाजिक         | भूमि अधिग्रहण अधिनियम          | पुनर्वास कार्य योजना  | प्रभावित पक्षों के | पावरग्रिड   | निर्माण चरण से    |
| भूमि का अधिग्रहण                | असमानता         | और उसकी प्रक्रिया के अनुसार    | का क्रियान्वयन        | साथ परामर्श- तीन   |             | पूर्व             |
|                                 |                 | उपजाऊ भूमि की अस्थाई/स्थाई     |                       | माह मे एक बार      |             |                   |
|                                 |                 | क्षति होने के लिए मुआवजा       |                       |                    |             |                   |
|                                 |                 | दिया जाना।                     |                       |                    |             |                   |
| बहुमूल्य पारिस्थितिकी क्षेत्रों | बहुमूल्य        | स्थल और संरेखन का सावधानी      | ट्रांसमिशन टॉवरों की  | स्थानीय वन         | पावरग्रिड   | विस्तृत स्थल      |
| में अतिक्रमण                    | पारिस्थितिकी    | पूर्वक चयन करके अतिक्रमण से    | अवस्थिति और लाईन      | प्राधिकारियों के   |             | सर्वेक्षण और      |
|                                 | क्षेत्रों का    | बचना।                          | संरेखन का चयन         | साथ परामर्श - एक   |             | संरेखन सर्वेक्षण/ |
|                                 | नुकसान/बहुमूल्य |                                | (निकटस्थ निर्दिष्ट    | बार                |             | डिजाइन का भाग     |
|                                 | प्रजातियों की   |                                | पारिस्थितिकी संरक्षण  |                    |             | ·                 |
|                                 | क्षति           |                                | क्षेत्र से दूरी)।     |                    |             |                   |
| वन भूमि के बीच से               | वनोंन्मूलन का   | स्थल और संरेखन का सावधानी      | टॉवर की अवस्थिति      | स्थानीय            | पावरग्रिड   | विस्तृत संरेखन    |
| ट्रांसिमशन लाईन                 | और जैव          | पूर्वक चयन करके अतिक्रमण से    | और लाईन संरेखन का     | प्राधिकारियों के   |             | सर्वेक्षण एवम     |
|                                 | विविधिता की     | बचना।                          | चयन (निकटस्थ          | साथ परामर्श - एक   |             | डिजाइन का भाग     |
|                                 | क्षति           |                                | संरक्षित अथवा आरक्षित | बार                |             |                   |
|                                 |                 |                                | वन से दूरी)           |                    |             |                   |
|                                 |                 | जहां कहीं भी संभव हो, वहां     | ~ ′                   |                    |             |                   |
|                                 |                 | मॉजूदा टॉवर्स, ऊंचे टॉवर्स और  |                       | स्थानीय            |             |                   |
|                                 |                 | <br>आरओ डब्ल्यू का प्रयोग करके |                       | प्राधिकारियों और   |             |                   |
|                                 |                 | आवश्यकता कम करना ।             |                       | डिजाइन इंजीनियरों  |             |                   |
|                                 |                 |                                |                       | के साथ परामर्श -   |             |                   |
|                                 |                 |                                |                       | एक बार             |             |                   |
|                                 |                 |                                |                       |                    |             |                   |

|                        |                            | सरकार से सांविधिक अनुमति<br>प्राप्त करना।  | सरकार से सांविधिक<br>अनुमोदन   | विनियमनों का<br>अनुपालन -प्रत्येक<br>उप-परियोजना के<br>लिए - एक बार            |           |  |
|------------------------|----------------------------|--|--|--|-----------|--|
| कृषि भूमि में अतिक्रमण | कृषि उत्पादकता<br>की क्षति | मौजूदा टॉवर फूटिंग्स/टॉवर्स का<br>उपयोग करना   | टॉवर की अवस्थिति<br>और लाईन संरेखन का<br>चयन   | स्थानीय<br>प्राधिकारियों और<br>डिजाइन इंजीनियरों<br>के साथ परामर्श -<br>एक बार | पावरग्रिड | विस्तृत संरेखन<br>सर्वेक्षण एवम<br>डिजाइन का भाग<br>विस्तृत संरेखन |
|                        |                            | जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, वहां<br>कृषि भूमि पर नए टॉवर्स के<br>निर्माण से बचना  | टॉवर अवस्थिति और<br>लाईन संरेखन का<br>चयन  | स्थानीय<br>प्राधिकारियों और<br>डिजाइन इंजीनियरों<br>के साथ परामर्श -<br>एक बार |           | सर्वेक्षण एवम<br>डिजाइन का भाग<br>निर्माण चरण से<br>पूर्व          |
|                        |                            | उपजाऊ भूमि को किसी भी<br>प्रकार से स्थाई क्षति होने पर<br>किसानों को मुआवजा दिया<br>जाना।  | फसल के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन का डिज़ाइन (प्रभावित क्षेत्र के आधार पर)  | प्रभावित पक्षकारों<br>से परामर्श - एक<br>तिमाही में एक बार                     |           | विस्तृत संरेखन<br>सर्वेक्षण एवम<br>डिजाइन का भाग                   |
|                        |                            | पथाधिकार (आरओडब्ल्यू) में<br>पड़ने वाले प्रमुख वृक्षों को<br>छांटने/हटाने की आवश्यकता<br>पड़ने पर किसानों/भूमि के<br>मालिकों को मुआवजे का<br>भुगतान किया जाना। | वृक्षों के लिए मुआवजा<br>देने की प्रक्रिया का<br>अनुपालन करने का<br>डिजाइन (वृक्षों को<br>काटने/छांटने जाने का<br>अनुमानित क्षेत्र)। | प्रभावित पक्षकारों<br>से परामर्श - एक<br>तिमाही में एक बार                     |           |  |

| शोरगुल से संबंधित                               | पड़ोस की<br>सम्पतियों के | सब-स्टेशनों के निर्माण स्थल का<br>चयन और डिजाइन इस तरह से   | पेडों की छंटाई<br>करने/हटाने के लिए<br>सांविधिक अनुमोदन<br>शोरगुल का स्तर      | विनियमनों का<br>अनुपालन - प्रत्येक<br>उप-परियोजना के<br>तिए एक बार<br>निविदा के<br>दस्तावेजों में | पावरग्रिड | विस्तृत उपकरण<br>डिजाइन सर्वेक्षण                                    |
|---|--------------------------|---|--|---|-----------|--|
|   | लिए अवरोध                | बनाया जाना ताकि शोरगुल से<br>न्यूसेंश ना हो।  |  | शोरगुल का स्तर<br>निर्दिष्ट किया<br>जाए - एक बार  |           | का ही एक भाग<br>है।  |
| जल निकासी प्रणाली /<br>सिंचाई चैनल मे हस्तक्षेप |                          | टॉवर्स के स्थल का उपयुक्त<br>रूप से चयन जिससे की चैनल<br>को हस्तक्षेप से बचाया जाना।  | टॉवर की अविस्थिति<br>और लाईन संरेखन का<br>चयन (निकटस्थ बाढ<br>क्षेत्र से द्री) | स्थानीय<br>प्राधिकारियों और<br>डिजाइन इंजीनियरों<br>के साथ परामर्श -<br>एक बार                    | पावरग्रिड | विस्तृत संरेखण<br>सर्वेक्षण और<br>डिजाइन का एक<br>भाग है।            |
| प्रदूषकों का निकास                              | पर्यावरण<br>प्रदूषण      | तेल रिसाव नियंत्रण प्रणाली<br>तैल, चिकनाई एवम ईंधन भंडारण<br>प्रणाली तथा रिसाव शुद्धीकरण<br>उपकरणों के साथ ट्रांसफार्मरों का<br>डिजाइन किया जाना। | संबंध में उपकरणों का   | निविदा के<br>दस्तावेज में<br>विनिर्देशनों का<br>उल्लेख - एक बार                                   | पावरग्रिड | विस्तृत उपकरण<br>डिजाइन का भाग<br>है।                                |
|   |                          | गैर-अवस्थित भूमि और जल<br>प्रदूषण से बचने के लिए सब-<br>स्टेशनों में निकासी और सीवेज<br>के निपटान की प्रणालियों को<br>शामिल किया जाना।            | सब-स्टेशन सीवेज<br>डिजाइन  | निविदा के<br>दस्तावेज में<br>विनिर्देशनों का<br>उल्लेख - एक<br>बार                                | पावरग्रिड | सब-स्टेशन का<br>विस्तृत नक्शा<br>डिजाइन /ड्राइंग का<br>ही एक भाग है। |

| विस्फोट           | जीवन के लिए  | सब-स्टेशन के डिजाइन मे        | सब-स्टेशन के        | निविदा के दस्तावेज    | पावरग्रिड      | सब-स्टेशन का       |
|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| /आग               | खतरनाक       | आधुनिक अग्नि शमन              | डिजाइन आग की        | में विनिर्देशनों का   |                | विस्तृत नक्शा      |
|                   |              | प्रणालियों/फायरवाल्स को शामिल | रोकथाम करने और      | उल्लेख - एक बार       |                | डिजाइन /ड्राइंग का |
|                   |              | अग्नि शमन करने के उपकरणों     | उस पर नियंत्रण रखने |                       |                | ही एक भाग है।      |
|                   |              | को ट्रांसफार्मरों के निकट     | की संहिताओं का      |                       |                |                    |
|                   |              | स्थापित करने की व्यवस्था।     | अनुपालन करते हैं।   |                       |                |                    |
| उपकरण का नक्शा और | शोरगुल और    | लैंड डिस्टीबेंस को कम करने के | निर्माण तकनीक और    | भूमि की न्यूनतम       | पावरग्रिड      | निर्माण अवधि       |
| संस्थापन          | कंपन         | लिए निर्माण तकनीक और          | मशीनरी              | डिर्स्टबेंस पैदा करने | ठेकेदार द्वारा |                    |
|                   |              | मशीनरी का चयन करना।           |                     | वाली निर्माण          | संविदा के      |                    |
|                   |              |                               |                     | तकनीक और              | प्रावधान       |                    |
|                   |              |                               |                     | मशीनरी - प्रत्येक     | (अनुच्छेद VII, |                    |
|                   |              |                               |                     | निर्माण चरण शुरू      | 44.7) के       |                    |
|                   |              |                               |                     | होने के समय- एक       | अनुसार         |                    |
|                   |              |                               |                     | बार                   |                |                    |
| वास्तविक निर्माण  | कृषि गतिविधि | फसल वाली भूमि पर निर्माण      | निर्माण कार्य शुरू  | फसल का नुकसान-        |                | निर्माण अवधि       |
|                   | का अवरुद्ध   | क्रिया कलाप समय पर करना       | करने का समय         | जितना जल्दी संभव      | 1              |                    |
|                   | होना         | (जहां कहीं भी संभव हो, वहां   |                     | हो फसल की कटाई        | संविदा के      |                    |
|                   |              | फसल कटाई के एक महीने के       |                     | के बाद लेकिन नई       | प्रावधान       |                    |
|                   |              | भीतर) ताकि खेत में लगी उपज    |                     | फसल के बोए जाने       | (अनुच्छेद II,  |                    |
|                   |              | को नुकसान से बचाया जा सके।    |                     | से पहले - एक बार      | 2.5 ) के       |                    |
|                   |              |                               |                     | प्रति स्थल            | अनुसार।        |                    |
|                   |              |                               |                     |                       |                |                    |
|                   |              |                               |                     |                       |                |                    |

| मशीनीकृत निर्माण      | शोरगुल, कंपन     | निर्माण के उपकरण का अच्छी          | निर्माण के उपकरण -      | स्थानीय              | पावरग्रिड      | निर्माण अवधि |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| C                     | और प्रचालक       | तरह से रख-रखाव करना।               | अनुमानित शोरगुल का      |                      | ठेकेदार द्वारा |              |
|                       | की सुरक्षा, कुशल |                                    | उत्सर्जन                | प्राप्त शिकायतें -   | संविदा के      |              |
|                       | प्रचालन          |                                    |                         | प्रत्येक 2 सप्ताह    | प्रावधान       |              |
|                       | 71 -11 (1-1      |                                    |                         | में                  | (अनुच्छेद      |              |
|                       |                  |                                    |                         |                      | VIII, 44.7)    |              |
|                       |                  |                                    |                         |                      |                |              |
|                       |                  |                                    |                         |                      | के अनुसार      |              |
|                       | शोरगुल, कंपन,    | प्रयुक्त नहीं होने वाले संयंत्र को | निर्माण उपकरण -         | स्थानीय              | पावरग्रिड      | निर्माण अवधि |
|                       | उपकरण की         | बंद करना                           | अनुमानित शोरगुल         | प्राधिकारियों को     | ठेकेदार द्वारा |              |
|                       | टूट-फूट          |                                    | उत्सर्जन और प्रचालन     | प्राप्त हुई शिकायतें | संविदा के      |              |
|                       |                  |                                    | की योजना।               | - प्रत्येक 2 सप्ताह  | प्रावधान       |              |
|                       |                  |                                    |                         |                      | (अनुच्छेद      |              |
|                       |                  |                                    |                         |                      | VIII, 44.7)    |              |
|                       |                  |                                    |                         |                      | के अनुसार      |              |
|                       |                  |                                    | 5G - <del>1</del> 2 - 2 |                      | · ·            |              |
| पहुचने के लिए सड़क का | हवाओं से         | जहां कहीं भी संभव होता है,         | निर्मित होंने वाले नए   | जहां कहीं भी संभव    |                | निर्माण अवधि |
| निर्माण               | उत्पन्न धूल      | वहा निर्माण और अनुरक्षण हेतु       | पहुंच सड़कों की         | हो, वहां उपस्थित     | ठेकेदार द्वारा |              |
|                       | कणों में वृद्धि  | पहुंचमार्ग और रुट के लिए           | लम्बाई और चौडाई         | सड़क का उपयोग -      | संविदा के      |              |
|                       |                  | मौजूदा रोड और ट्रेक्स का           |                         | प्रत्येक 2 सप्ताह    | प्रावधान       |              |
|                       |                  | उपयोग किया जाता है।                |                         | में                  | (अनुच्छेद      |              |
|                       |                  |                                    |                         |                      | VIII, 44.7)    |              |
|                       |                  |                                    |                         |                      | के अनुसार      |              |
|                       |                  |                                    |                         |                      |                |              |

|                      | अस्थाई       | आर.ओ.डब्लू (राइट आफ वे) के      | अभिगम का आयाम             | नये अभिगम मार्ग      | पावरग्रिड      | निर्माण अवधि |
|----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------|
|                      | आवागमन के    | अन्दर नये अभिगम मार्ग           | (मीटर)                    | (आवागमन) को          | ठेकेदार द्वारा |              |
|                      | लिए अधिक     | (आवागमन) को एकल पथ तक           |                           | एकल पथ तक            | संविदा के      |              |
|                      | भूमि की      | सीमित रखना।                     |                           | सीमित आर.ओ.          | प्रावधान       |              |
|                      | आवश्यकता     |                                 |                           | डब्लू (राइट आफ       | (अनुच्छेद II,  |              |
|                      |              |                                 |                           | वे) के अन्दर -       | 2.8) के        |              |
|                      |              |                                 |                           | प्रत्येक 2 सप्ताह।   | अनुसार         |              |
| यूटीलिटी की अस्थाई   | ओवरफ्लो,     | नालियों/नहरों में अस्थाई रूप से | अस्थाई रूप से मिट्टी      | संवेदनशील जल         | पावरग्रिड      | निर्माण अवधि |
| रुकावट               | डिस्चार्ज कम | मिट्टी भरने की अनुमति नहीं      | भरना (मीटर <sup>3</sup> ) | निकासी क्षेत्रों में | ठेकेदार द्वारा |              |
|                      | होना         | दी जाती है।                     |                           | मिट्टी की            | संविदा के      |              |
|                      |              |                                 |                           | अनुपस्थित -          | प्रावधान       |              |
|                      |              |                                 |                           | प्रत्येक 4 सप्ताह    | (अनुच्छेद II,  |              |
|                      |              |                                 |                           |                      | 2.6 ) के       |              |
|                      |              |                                 |                           |                      | अनुसार ।       |              |
| निर्माण स्थल की सफाई | पेड़-पौधे    | सफाई करने से पहले पेड-पौधों     | पेड-पौधों को चिन्हित      | छंटाई केवल           | पावरग्रिड      | निर्माण अवधि |
|                      |              | को चिन्हित करना और न्यूनतम      | करना और छंटाई पर          | लक्षित पैड-पोधों     | ठेकेदार द्वारा |              |
|                      |              | सफाई सुनिश्चित करने के लिए      | नियंत्रण रखना             | तक सीमित रखना        | संविदा के      |              |
|                      |              | छंटाई के क्रियाकलापों पर        | (क्षेत्रफल वर्ग मीटर में  | - प्रत्येक 2         | प्रावधान       |              |
|                      |              | नियंत्रण रखना।                  | )                         | सप्ताह               | (अनुच्छेद      |              |
|                      |              |                                 |                           |                      | VIII, 43.5 और  |              |
|                      |              |                                 |                           |                      | अनुच्छेद ॥,    |              |
|                      |              |                                 |                           |                      | 2.6) के        |              |
|                      |              |                                 |                           |                      | अनुसार         |              |

| राइट ऑफ वे के भीतर पेडों | आग के खतरे    | राइट ऑफ वे के अंदर वृक्षों को   | वैधानिक प्राधिकारियों   | पेड-पौधों की सफाई    | पावरग्रिड       | निर्माण अवधि |
|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| की कटाई/ छंटाई           |               | निश्चित ऊंचाई तक ही बढ़ने       | द्वारा अनुमोदित         | करने के बाद राइट     | (ठेकेदार द्वारा |              |
|                          |               | दिया जाता है ताकि पर्याप्त      | विशिष्ट प्रजाति के      | ऑफ वे के भीतर        | संविदा के       |              |
|                          |               | क्लियरेंस कंडक्टर और पेड़ के    | पेडों को बनाए रखना      | लक्षित प्रजातियों    | प्रावधानों के   |              |
|                          |               | बीच दूरी विनियमों के अनुसार     | (परिपक्वता के समय       | के पेड़ों की         | अन्सार )।       |              |
|                          |               | रखा जा सके।                     | ्रे<br>पेडों की औसत     | उपस्थिति - प्रत्येक  | 3 / /           |              |
|                          |               |                                 | अधिकतम ऊंचाई            | स्थल पर एक बार       |                 |              |
|                          |               |                                 | मीटर में)।              |                      |                 |              |
|                          | पेड़ पौधों की | जिन पेडों की छंटाई करके         | वैधानिक प्राधिकारियों   | छंटाई के बाद         | पावरग्रिड       | निर्माण अवधि |
|                          | क्षति और वनों | अनुपालन किया जा सके, उनको       | द्वारा यथा अनुमोदित     | राइट ऑफ वे के        | (ठेकेदार द्वारा |              |
|                          | की कटाई       | काटने की बजाय छंटाई की          | विशिष्ट प्रजाति के      | भीतर लक्षित पेडों    | संविदा के       |              |
|                          |               | जाए।                            | पेडों को जीवित रखा      | को बनाए रखना         | प्रावधानों के   |              |
|                          |               |                                 | जाना।                   | - एक बार प्रत्येक    | अनुसार )।       |              |
|                          |               |                                 |                         | स्थल                 | _               |              |
|                          |               | वैधानिक निकाय द्वारा अधिकृत     | वैधानिक प्राधिकारियों   | वैधानिक              | पावरग्रिड       | निर्माण अवधि |
|                          |               | किये गये संस्था द्वारा गिरे हुए | द्वारा अनुमोदित         | प्राधिकारियों द्वारा | (ठेकेदार द्वारा |              |
|                          |               | पेडों तथा काटे गए और छंटाई      | छंटाई किए गए पेड-       | अनुमोदित             | संविदा के       |              |
|                          |               | किए गए पेड़-पौधों का निपटान     | पौधों का निपटान         | वनस्पतियों का        | प्रावधानों के   |              |
|                          |               | किया जाय।                       | (साफ किया गया क्षेत्र   | उपयोग या उपयोग       | अनुसार )।       |              |
|                          |               |                                 | वर्ग मीटर में)          | का उद्देश्य -        |                 |              |
|                          |               |                                 |                         | प्रत्येक स्थल पर     |                 |              |
|                          |               |                                 |                         | एक बार               |                 |              |
| लकड़ी/पेड-पौधों की कटाई  | पेड पौधों की  | निर्माण करने वाले कामगारों को   | गैर-कानूनी लकड़ी /      | स्थानीय लोगों        | पावरग्रिड       | निर्माण अवधि |
|                          | क्षति और वनों | उनके रोजगार के समय              | पैड-पौधो की कटाई        | द्वारा शिकायत        | (अनुच्छेद II,   |              |
|                          | की कटाई       | परियोजना क्षेत्र से लकड़ी काटने | (क्षेत्रफल वर्गमीटर में | अथवा गैर-कानूनी      | 2.3 के अनुसार   |              |
|                          |               | से रोका जाता है (स्थानीय रूप    | ,सूचित घटनाओं की        | कटाई की अन्य         | ठेकेदार द्वारा  |              |
|                          |               | से नियोजित कर्मचारियों के       | संख्या)।                | प्रमाण - प्रत्येक 2  | संविदा के       |              |

|                          |              | अतिरिक्त जो कि निरंतर          |                                  | सप्ताह              | प्रावधानों के   |              |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|                          |              |                                |                                  | מימוף               |                 |              |
|                          |              | वर्तमान कानूनी क्रियाकलाप कर   |                                  |                     | अनुसार)।        |              |
|                          |              | रहे हैं)।                      |                                  |                     |                 |              |
| अतिरिक्त खुदी हुई मिट्टी | अपवाह के     | टॉवर को खोदने से निकाली        | मिट्टी का निपटारा                | स्वीकार्य मिट्टी    | पावरग्रिड       | निर्माण अवधि |
|                          | कारण जल      | गई मिट्टी को रोड के किनारों    | करने के स्थान और                 | का निपटारा करने     | ठेकेदार द्वारा  |              |
|                          | प्रदूषण, ठोस | पर अथवा निकटस्थ घरों के        | उसकी मात्रा (मीटर <sup>3</sup> ) | के स्थल - प्रत्येक  | संविदा के       |              |
|                          | अपशिष्ट का   | ब्लॉकों में भूमि मालिकों के    |                                  | 2 सप्ताह            | प्रावधान        |              |
|                          | निपटान       | अनुरोध पर, खपाया जाता है।      |                                  |                     | (अनुच्छेद       |              |
|                          |              |                                |                                  |                     | VIII, 43.5 और   |              |
|                          |              |                                |                                  |                     | अनुच्छेद २.६)   |              |
|                          |              |                                |                                  |                     | के अनुसार       |              |
| स्थल की सफाई             | वनस्पतियां   | स्थापना की सुगमता के लिए       | पेड पौधों की छंटाई               | घरातल को            | पावरग्रिड<br>-  | निर्माण अवधि |
| ,                        |              | पेड काटने की अनुमति देने की    | के दौरान घरातल को                | न्कसान करने की      | (ठेकेदार द्वारा |              |
|                          |              | प्रक्रिया में धरातल के स्तर पर | नुकसान पहुंचाना                  | मात्रा - प्रत्येक 4 | संविदा के       |              |
|                          |              | पेड की कटाई करना अथवा          | (क्षेत्रफल वर्ग मीटर             | सप्ताह              | प्रावधानों के   |              |
|                          |              | उसकी यथोचित छंटाई करना         | में)                             |                     | अनुसार )।       |              |
|                          |              | निहित होता है जिसमें पेड के    |                                  |                     |                 |              |
|                          |              | तनों और जडों को उसी स्थान      |                                  |                     |                 |              |
|                          |              | पर छोड दिया जाता है और         |                                  |                     |                 |              |
|                          |              | भूमि को कोई क्षति पहुंचाए      | वैधानिक अनुमोदन                  | पेडों की कटाई के    | पावरग्रिड       | निर्माण अवधि |
|                          |              | बगैर वैसा ही छोड दिया जाता     |                                  | लिए वैधानिक         | (ठेकेदार द्वारा |              |
|                          |              | है।                            |                                  | अन्मोदन - प्रत्येक  | संविदा के       |              |
|                          |              |                                |                                  | स्थल के लिए एक      | प्रावधानों के   |              |
|                          |              |                                |                                  | बार                 | अनुसार)।        |              |
|                          |              |                                |                                  |                     | 3 /             |              |
| टॉवर का निर्माण - अधि    | अपशिष्ट का   | टॉवर की नींव से निकाली गई      | भराई के निपटान के                | उपयुक्त भराई        | पावरग्रिड       | निर्माण अवधि |
| शेष मिट्टी का कार्य      | निपटान       | अतिरिक्त मिट्टी को स्थानीय     | स्थान (मीटर <sup>3</sup> ) और    | निपटान स्थान -      | ठेकेदार द्वारा  |              |
| निपटान/भराई              |              | समुदाय अथवा भूमि के मालिक      | राशि                             | प्रत्येक 2 सप्ताह   | संविदा के       |              |

|                       |                |                                |                      |                     | _               |              |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|                       |                | से अनुमति प्राप्त करके रोड के  |                      |                     | प्रावधान        |              |
|                       |                | किनारों पर अथवा निकटस्थ        |                      |                     | (अनुच्छेद       |              |
|                       |                | घरों के आस-पास खपा दिया        |                      |                     | VIII, 43.5 और   |              |
|                       |                | जाता है।                       |                      |                     | अनुच्छेद २.६    |              |
|                       |                |                                |                      |                     | के अनुसार)।     |              |
| रसायनों और सामग्री का | रिसेप्टरों का  | ईंधन और अन्य खतरनाक            | ईंधन और अन्य         | उचित स्थलों पर      | पावरग्रिड       | निर्माण अवधि |
| भंडारण                | प्रदूषण (भूमि, | सामग्री का भंडारण सुरक्षित रुप | खतरनाक सामग्री का    | ईंधन का भंडारण      | (ठेकेदार द्वारा |              |
|                       | जल और वायु)    | से हाई फ्लंड लेवल के ऊपर       | भंडारण; रिसाव की     | और आधार -           | संविदा के       |              |
|                       |                | रखना                           | रिपोर्टस (रिसाव हो   | प्रत्येक 2 सप्ताह   | प्रावधानों के   |              |
|                       |                |                                | गई सामग्री की        |                     | अनुसार )।       |              |
|                       |                |                                | किस्म, मात्रा        |                     |                 |              |
|                       |                |                                | (किलोग्राम या घन     |                     |                 |              |
|                       |                |                                | मीटर) और ऐसे         |                     |                 |              |
|                       |                |                                | रिसाव पर नियंत्रण    |                     |                 |              |
|                       |                |                                | रखने और उसकी         |                     |                 |              |
|                       |                |                                | सफाई करने के लिए     |                     |                 |              |
|                       |                |                                | की गई कार्रवाई।)     |                     |                 |              |
| निर्माण कार्यक्रम     | निकटस्थ        | केवल दिन में ही निर्माण संबंधी | निर्माण कार्य के समय | केवल दिन के         | पावरग्रिड       | निर्माण अवधि |
|                       | परिसम्पतियों   | क्रियाकलाप किए जाते हैं और     | (शोरगुल उत्पन्न होना | समय निर्माण कार्य   | ठेकेदार द्वारा  |              |
|                       | के लिए शोरगुल  | निर्माण कार्यक्रम के बारे में  | [डीबी(ए)])           | - प्रत्येक 2 सप्ताह | संविदा के       |              |
|                       | की समस्या      | स्थानीय समुदायों को सूचित      |                      |                     | प्रावधान        |              |
|                       |                | किया जाता है।                  |                      |                     | (अनुच्छेद VIII, |              |
|                       |                |                                |                      |                     | 44.7) के        |              |
|                       |                |                                |                      |                     | अनुसार          |              |
|                       |                |                                |                      |                     | 1               |              |

| निर्माण का कार्य करने वाले<br>कामगारों के लिए सुविधाओ<br>का प्रावधान | रिसेप्टरों का<br>प्रदूषण (भूमि,<br>जल और वायु) | निर्माण का कार्य करने वाले<br>कामगारों को दी जाने वाली<br>सुविधाओं में उचित स्वच्छता,<br>जल आपूर्ति, ओर अपशिष्ट का<br>निपटान की सुविधाएं शामिल<br>करना।  | कामगारों के लिए<br>काम करने करने के<br>लिए सुविधाएं  | उचित स्वच्छता,<br>जल आपूर्ति, ओर<br>अपशिष्ट का<br>निपटान की<br>सुविधाएं स्थापित<br>करना - एक बार<br>प्रत्येक सुविधा के<br>लिए | पावरग्रिड<br>(ठेकेदार द्वारा<br>संविदा के<br>प्रावधानों के<br>अनुसार )।                      | निर्माण अवधि |
|--|--|--|--|---|--|--------------|
| कृषि भूमि मे अतिक्रमण  | कृषि की<br>उत्पादकता की<br>क्षति               | जहां कहीं भी संभव हो, वहां मौजूदा सुगम्य रास्तों का इस्तेमाल करना  मौजूदा सिंचाई सुविधाओं का कार्यचालन सुनिश्चित करना  मिट्टी की उच्च सतह को सुरक्षित/बचा कर रखना और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उसका दुबारा उपयोग करना  निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अतत हुई बांधों इत्यादि की मरम्मत करना/उनको दुबारा बनाना | मौजूदा यूटीलिटी का<br>इस्तेमाल करना<br>मौजूदा सुविधाओं की<br>स्थिति (मिट्टी की<br>मात्रा घन मी ॰)<br>मौजूदा सुविधाओं की<br>स्थिति (मिट्टी की<br>मात्रा घन मी ॰)<br>सुविधाओं की स्थिति<br>(मिट्टी की मात्रा घन<br>मी ॰) | स्थानीय<br>लोगों/प्राधिकारियों<br>से प्राप्त शिकायतें<br>- प्रत्येक 4 सप्ताह  | पावरग्रिड ठेकेदार द्वारा संविदा के प्रावधान (अनुच्छेद ॥, 2.8, 2.5 और अनुच्छेद 2.7) के अनुसार | निर्माण अवधि |

| अनियंत्रित भूस्खलन/गाद का | सामाजिक<br>असमानताएं<br>मिटटी की क्षति. | कृषि के उत्पादन में अस्थाई<br>क्षिति होने के लिए मुआवजा देना<br>-यूनतम सुगम्य ट्रेकों की   | फसल के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन (अदा की गई राशि और तारीख इत्यादि) डिजाइन आधार और  | प्रभावित पक्षकारों<br>के साथ परामर्श-<br>एक तिमाही में<br>एक बार<br>उत्तम डिजाइन  | पावरग्रिड<br>पावरग्रिड   | निर्माण से पूर्व<br>निर्माण अवधि |
|---------------------------|---|--|--|---|--|----------------------------------|
| बहाव                      |   | आवश्यकता, मौजूदा रोड का<br>इस्तेमाल<br>कार्य क्षेत्रों पर सीमित स्थल<br>सफाई<br>निर्माण कार्य पूरा होने पर कार्य<br>क्षेत्रों को सुस्थिर बनाने के (जहां<br>कहीं भी लागू होता है) लिए पेड-<br>पौधों को दुबारा लगाना।<br>गीले/बरसात के मौसम में खुदाई<br>का कार्य नहीं करना<br>जल के संसाधनों को बांधों और<br>तलछट तालाबों का उपयोग करके<br>गाद से भरने से सुरक्षित रखना | निर्माण प्रक्रियाएं (प्राप्त होने वाले जल में प्रलंबित ठोस पदार्थ; क्षेत्र को पुन: हरा भरा बनाना पुन: रोपित वनस्पति (वर्ग मीटर); निर्मित बांध की मात्रा [लंबाई मीटर में, क्षेत्र वर्ग मीटर में, अथवा मात्रा घन मीटर में,]) | ओर निर्माण<br>प्रबंधन प्रक्रिया को<br>शामिल करना -<br>प्रत्येक स्थल पर<br>एक बार। | ठेकेदार द्वारा<br>संविदा के<br>प्रावधान<br>(अनुच्छेद ॥,<br>2.8) के<br>अनुसार |                                  |

| निकटस्थ परिसम्पतियों के | निकटस्थ भूमि | सावधानी पूर्वक निर्माण कार्य   | संविदा की धाराएं        | उत्तम निर्माण        | पावरग्रिड      | निर्माण अवधि     |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------------|
| लिए न्यूसेंस            | - •          | करने की पद्धतियों को           |                         | प्रबंधन प्रक्रिया को | ठेकेदार द्वारा |                  |
|                         | की क्षति     | विनिश्चित करने वाली संविदा     |                         | शामिल करना -         | संविदा के      |                  |
|                         | , and        | की धाराएं                      |                         | प्रत्येक स्थल पर     | प्रावधान       |                  |
|                         |              | 111 41(1)                      |                         | एक बार               | (अनुच्छेद ॥,   |                  |
|                         |              |                                |                         | रना आर               | 2.8) के        |                  |
|                         |              |                                |                         |                      | अनुसार         |                  |
|                         |              | जितना संभव होगा मौजूदा         | डिजाइन का आधार          | उत्तम डिजाइन         | 313            |                  |
|                         |              | उपलब्ध रास्तों का इस्तेमाल     | और लेआउट                | इंजीनियरिंग          |                |                  |
|                         |              | किया जाएगा ।                   |                         | प्रक्रिया को शामिल   |                |                  |
|                         |              |                                |                         | करना -प्रत्येक       |                |                  |
|                         |              |                                |                         | स्थल के लिए एक       |                |                  |
|                         |              |                                |                         | बार                  |                |                  |
|                         |              | निर्माण कार्य पूरा होने के बाद | भूमि की पूर्व स्थिति    | प्रभावित             |                |                  |
|                         |              | उपजाऊ भूमि को पूर्व की स्थिती  | _                       | पक्षकारों के         |                |                  |
|                         |              | मे लाया जाएगा।                 | (प्रभावित क्षेत्र, मीटर | साथ परामर्श -        |                |                  |
|                         |              |                                | 2)                      | दो बार, निर्माण      |                |                  |
|                         |              |                                |                         | कार्य के पूरा        |                |                  |
|                         |              |                                |                         | होने के तुरंत        |                |                  |
|                         |              |                                |                         | बाद और पहली          |                |                  |
|                         |              |                                |                         | फसल कटाई के          |                |                  |
|                         |              |                                |                         | बाद।                 |                |                  |
|                         |              |                                |                         |                      |                |                  |
|                         | सामाजिक      | उत्पादन में यदि किसी भी        | पेड/फसल के लिए          | प्रभावित पक्षकारों   | पावरग्रिड      | निर्माण से पूर्व |
|                         | असमानताएं    | प्रकार की कोई क्षति के लिए     | मुआवजे की प्रक्रिया का  | के साथ परामर्श -     |                |                  |
|                         |              | मुआवजे का भुगतान किया          | क्रियान्वयन (अदा की     | एक तिमाही में        |                |                  |
|                         |              | जाएगा।                         | गई राशि)                | एक बार               |                |                  |
|                         |              |                                |                         |                      |                |                  |

| बारो क्षेत्रो की अपर्याप्त<br>साइटिंग | भूमि के मूल्यों<br>की क्षति                         | उपस्थित बारो क्षेत्रों का उपयोग<br>एग्रीगेटस की व्यवस्था में किया<br>जाएगा। अतएव एग्रीगेटस के<br>लिए नए स्त्रोतों के विकास की<br>आवश्यकता नहीं है।   | संविदा की धाराएं  | उत्तम निर्माण<br>प्रबंधन प्रक्रिया को<br>शामिल करना -<br>प्रत्येक स्थल के<br>तिए एक बार        | पावरग्रिड<br>(ठेकेदार द्वारा<br>संविदा के<br>प्रावधानों के<br>अनुसार )।  | निर्माण अवधि  |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| स्वास्थ्य और सुरक्षा                  | कामगारों और<br>जनता के<br>सदस्यों को चोट<br>/बिमारी | निर्माण शिविरों के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने वाले संविदा के प्रावधान  ठेकेदार द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा योजना तैयार करना और उसका क्रियान्वयन करना ठेकेदार द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण सत्रों की व्यवस्था करना | संविदा की धाराएं (क्षिति और रूग्णता के कारण हास हुए कुल कार्य दिवसों और दुर्घटनाओं की संख्या) | संविदा की धाराओं<br>का क्रियान्वयन -<br>प्रत्येक तिमाही में<br>एक बार                          | पावरग्रिड ठेकेदार द्वारा संविदा के प्रावधान (अनुच्छेद ॥, 2.2 (v,vii,viii) के अनुसार तथा साथ ही विशेष संविदा की शर्त 43.2 के अनुसार सुरक्षा संबंधी चौकसियों की व्यवस्था करना। | निर्माण अवधि  |
| निर्माण चरण में अपर्याप्त<br>निगरानी  | अधिकतम क्षति<br>होने की<br>संभावना                  | पर्यावरण संबंधी निगरानी करने<br>वाले पावरग्रिड के कार्मिकों के<br>लिए प्रशिक्षण  | प्रशिक्षण कार्यक्रम   | ऐसे कार्यक्रमों की<br>संख्या जिनमें<br>प्रत्येक व्यक्ति<br>उपस्थित हुआ है -<br>वर्ष में एक बार | पावरग्रिड  | निर्माण की समस्त<br>अवधि के दौरान<br>नियमित रूप से। |

|   |   | सभी संविदात्मक पर्यावरण संबंधी<br>आवश्यकताओं की जांच सूची का<br>उपयोग करके प्रभावशाली<br>पर्यावरण संबंधी निगरानी और<br>सूचित करने की प्रणाली का<br>क्रियान्वयन | •   | प्रत्येक निर्माण<br>स्थल के लिए सभी<br>संविदाओं की<br>विधिवत् पूरी की<br>गई जांच सूचियां<br>प्रस्तुत करना -<br>एक बार       |           |                  |
|---|---|--|---|---|-----------|------------------|
|   |   | संविदात्मक पर्यावरणीय प्रशमन<br>उपायों का संतोषजनक<br>क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के<br>लिए उपयुक्त संविदा की धाराएं<br>बनाना                                   | संविदा के लिए<br>पर्यावरण संबंधी मुद्दों<br>से संबंधित अनुपालन<br>रिपोर्ट   | प्रत्येक निर्माण<br>स्थल के लिए सभी<br>संविदाओं की शर्ते<br>विधिवत् पूरी की<br>गई जांच सूचियां<br>प्रस्तुत करना -<br>एक बार |           |                  |
| ट्रांसिमशन टॉवरों की<br>अवस्थिति और ट्रांसिमशन<br>लाईन का संरेखन और<br>डिजाइन | सुरक्षा संबंधी<br>खतरों से<br>अनावरण    | विद्युत फ्रीक्वेंसी के अनुमत्त<br>स्तर के अनुसार बनाए गए<br>ऑवरहैड लाईन रूट के घरों की<br>सेट बैक दूरी और निर्माण<br>स्थल पर पर्यवेक्षण पर नियंत्रण            | सेट बैक की दूरी के<br>साथ अनुपालन<br>("यथा-निर्मित"<br>रेखाचित्र)           | निकटस्थ घरों से<br>सेटबैक दूरी - एक<br>तिमाही में एक बार  | पावरग्रिड | प्रचालन के दौरान |
| बाढ में उपकरणों का<br>जलमग्न होना   | रिसेप्टरों का<br>संदूषण (भूमि<br>और जल) | नीव के पैड को ऊंचा उठा कर<br>उच्च बाढ स्तर (एचएफएल) से<br>ऊपर उपकरण स्थापित करना   | एचएफएल (निर्मित<br>रेखा-चित्र) को ध्यान<br>में रख कर सब-स्टेशन<br>का डिजाइन | बाढ के डिजाइन के<br>अनुसार आधार की<br>ऊंचाई - एक बार  | पावरग्रिड | प्रचालन के दौरान |

| तेल का रिसाव                | भूमि/निकटस्थ   | सब-स्टेशन के ट्रांसफार्मर ऐसे    | सब-स्टेशन का बांध     | बांध बनाने (तेल      | पावरग्रिड | प्रचालन के दौरान |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|------------------|
|                             | जलाशयों का     | सुरक्षित और अभेद्य हौदी          | बनाना (तेल की हौदी)   | की हौदी) की          |           |                  |
|                             | संदूषण         | क्षेत्रों में स्थापित हैं, जिनकी | ("यथा-निर्मित         | क्षमता और उसकी       |           |                  |
|                             |                | न्यूनतम क्षमता, ट्रांसफार्मरों   | रेखाचित्र")           | व्याप्ति - एक बार    |           |                  |
|                             |                | और सहयोगी रिजर्व टेंकों की       |                       |                      |           |                  |
|                             |                | 100% है।                         |                       |                      |           |                  |
| प्रचालनों के दौरान          | स्टाफ/कामगारों | खतरों को न्यूनतम करने के         | उपयुक्त प्रोद्योगिकी  | संकट की स्थिति       | पावरग्रिड | डिजाइन और        |
| स्टाफ/कामगारों के स्वास्थ्य | को चोट/आघात    | लिए उपयुक्त प्रोद्योगिकी का      | का उपयोग करना         | में इन               |           | प्रचालन          |
| और सुरक्षा के लिए           |                | उपयोग करके ध्यानपूर्वक           | (बिमारी और चोट        | प्रोद्योगिकियों का   |           |                  |
| अपर्याप्त प्रावधान          |                | डिजाइन बनाना                     | लग जाने के कारण       | उपयोग करने की        |           |                  |
|                             |                |                                  | ह्रास हुए कार्य दिवस) | तैयारी का स्तर -     |           |                  |
|                             |                |                                  |                       | प्रत्येक वर्ष में एक |           |                  |
|                             |                |                                  |                       | बार                  |           |                  |
|                             |                | स्टाफ में सुरक्षा के प्रति       | प्रशिक्षण/जागरूकता    | कार्यक्रमों की       |           |                  |
|                             |                | जागरूकता पैदा करना।              | कार्यक्रम और कृत्रिम  | संख्या और शामिल      |           |                  |
|                             |                | आग की आपात कार्य योजना           | अ <b>भ्या</b> स       | किए गए               |           |                  |
|                             |                | बनाना और आपात कार्य              |                       | स्टाफ/कम्चारियों     |           |                  |
|                             |                | योजना के क्रियान्वयन के लिए      |                       | का प्रतिशत - वर्ष    |           |                  |
|                             |                | स्टाफ को प्रशिक्षण देना।         |                       | में एक बार           |           |                  |
|                             |                | स्वच्छता और जल आपूर्ति की        | सुविधाओं की व्यवस्था  | स्टाफ/कामगारों से    |           |                  |
|                             |                | पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना ।  | करना                  | प्राप्त शिकायतें -   |           |                  |
|                             |                |                                  |                       | प्रत्येक 2 सप्ताह    |           |                  |
|                             |                |                                  |                       | में                  |           |                  |

| विद्युत-आघात के खतरे | स्टाफ/कामगारों | खतरों को न्यूनतम करने के       | उपयुक्त प्रोद्योगिकी  | संकट की स्थिति       | पावरग्रिड | डिजाइन और |
|----------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|
|                      | को आघात        | लिए उपयुक्त प्रोद्योगिकी का    | का उपयोग करना         | में इन               |           | प्रचालन   |
|                      | /मृत्यु दर     | उपयोग करके ध्यानपूर्वक         | (रुग्णता और चोट       | प्रोद्योगिकियों का   |           |           |
|                      |                | डिजाइन बनाना                   | लग जाने के कारण       | उपयोग करने की        |           |           |
|                      |                |                                | ह्रास हुए कार्य दिवस) | तैयारी का स्तर -     |           |           |
|                      |                |                                |                       | महीने में एक बार     |           |           |
|                      |                | सब-स्टेशनों के आस-पास सुरक्षा  | स्रक्षा के बाड़ों का  | अन्रक्षण पर          |           |           |
|                      |                | का बाड़ा बनाना                 | रख-रखाव               | रिपोर्ट - प्रत्येक   |           |           |
|                      |                |                                |                       | 2 सप्ताह             |           |           |
|                      |                | ट्रांसमिशन टॉवरों पर           | बैरियरों का रख-रखाव   | -                    |           |           |
|                      |                | चढने/विक्षत करने की रोकथाम     | वारवरा वर्ग रव रवाव   |                      |           |           |
|                      |                | करने के लिए बैरियरों का        |                       |                      |           |           |
|                      |                | सुविधाओं पर उपयुक्त चेतावनी    | चेतावनी संकेतों का    | -                    |           |           |
|                      |                | संकेत लगाना                    | रख-रखाव               |                      |           |           |
|                      |                | VI IVI VI VI VI                | (3 (3)4               |                      |           |           |
|                      |                | -0-1                           | <del></del>           |                      |           |           |
|                      |                | परियोजना क्षेत्रों में विद्युत | सभी संबंधित पक्षकारों |                      |           |           |
|                      |                | सुरक्षा संबंधी जागरूकता        | के लिए                | और शामिल किए         |           |           |
|                      |                | बढाना।                         | प्रशिक्षण/जागरूकता    | गए कुल व्यक्तियों    |           |           |
|                      |                |                                | कार्यक्रमों का आयोजन  |                      |           |           |
|                      |                |                                | करना और सुरक्षा       | प्रत्येक वर्ष में एक |           |           |
|                      |                |                                | अभ्यास कराना          | बार                  |           |           |

| प्रचालन और अनुरक्षण         | विभिन्न किस्म     | सब-स्टेशनों के सभी संबद्ध      | सभी संबद्ध स्टाफ के      | कार्यक्रमों की     | पावरग्रिड | प्रचालन  |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|----------|
| कार्मिकों का कौशल स्वीकार्य |                   | स्टाफ और ट्रांसमिशन लाईन के    | 7                        | संख्या और शामिल    | 114(1935  | 2141(14) |
| स्तर से कम होना             | पर्यावरणीय क्षति  | अनुरक्षण कर्मचारियों को        | प्रशिक्षण/जागरूकता       | किए गए कुल         |           |          |
| VIV VI 401 (IIIII           | THIS CITY         | प्रचालन एवं रखरखाव का          | कार्यक्रमों का आयोजन     | व्यक्तियों का      |           |          |
|                             |                   | पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया | करना और कृत्रिम          | प्रतिशत - प्रत्येक |           |          |
|                             |                   | जाना।                          | _                        | वर्ष में एक बार    |           |          |
|                             |                   |                                | सुरक्षा अभ्यास<br>कराना। | विष म एक बार       |           |          |
|                             |                   | प्रचालन एवं रखरखाव की          | कराना।                   |                    |           |          |
|                             |                   | नियम पुस्तिकाओं और मानक        |                          |                    |           |          |
|                             |                   | प्रचालन प्रक्रियाओं का उपयोग   |                          |                    |           |          |
|                             |                   | करने संबंधी तैयारी करना और     |                          |                    |           |          |
|                             |                   | प्रशिक्षण देना।                |                          |                    |           |          |
| अपर्याप्त सामयिक            | ह्रास हुए         | पावरग्रिड के स्टाफ को          | सभी संबद्ध स्टाफ के      | कार्यक्रमों की     | पावरग्रिड | प्रचालन  |
| पर्यावरणीय अनुवीक्षण        | पारिस्थितिकी      | परियोजना प्रचालनों के          | लिए                      | संख्या और शामिल    |           |          |
|                             | और सामाजिक        | पर्यावरणीय अनुवीक्षण और        | प्रशिक्षण/जागरूकता       | किए गए कुल         |           |          |
|                             | मूल्य             | अनुरक्षण के क्रियाकलापों में   | कार्यक्रमों का आयोजन     | व्यक्तियों का      |           |          |
|                             |                   | प्रशिक्षण प्राप्त करना ।       | करना और कृत्रिम          | प्रतिशत - प्रत्येक |           |          |
|                             |                   |                                | सुरक्षा अभ्यास           | वर्ष में एक बार    |           |          |
|                             |                   |                                | कराना।                   |                    |           |          |
| उपकरण विनिर्देशन और         | रिसेप्टरों (वायु, | प्रक्रिया, उपकरण और प्रणालियों | प्रक्रिया, उपकरण और      | यदि अभी भी         | पावरग्रिड | प्रचालन  |
| डिजाइन के मापक              | जल, भूमि) में     | में हेलोन सहित                 | प्रणाली डिजाइन           | प्रयुक्त किया जा   |           |          |
|                             | रसायनों और        | क्लोरोफ्लूरोकार्बन्स (सीएफसी)  |                          | रहा है, तो उसको    |           |          |
|                             | गैसों का          | का उपयोग को बंद कर दिया        |                          | धीरे-धीरे समाप्त   |           |          |
|                             | बहिस्राव          | जाए और उनका निपटान             |                          | करने का शिडयूल     |           |          |
|                             |                   | सरकार की अपेक्षाओं के          |                          | तैयार किया जाए-    |           |          |
|                             |                   | अन्सार उचित तरीके से किया      |                          | एक तिमाही में      |           |          |
|                             |                   | ्र<br>जाए।                     |                          | एक बार।            |           |          |
|                             |                   |                                |                          |                    |           |          |
|                             |                   |                                |                          |                    |           |          |

| ट्रांसमिशन लाईन का | विद्युतचुम्बकीय | ऑवरहैड पॉवर लाईनों से         | अपेक्षित ग्राउंड | ग्राउंड क्लियरेंस - | पावरग्रिड | प्रचालन |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------|---------|
| अनुरक्षण           | व्यवधान के      | उत्पन्न होने वाली चुम्बकीय    | क्लियरेंस (मीटर) | एक बार              |           |         |
|                    | प्रति अरक्षितता | स्थिति की सीमाओं का           |                  |                     |           |         |
|                    |                 | अनुपालन करने के लिए           |                  |                     |           |         |
|                    |                 | ट्रांसमिशन लाईन डिजाइन        |                  |                     |           |         |
| शोरगुल से संबंधित  | निकटस्थ         | सब-स्टेशनों के निर्माण स्थलों | शोरगुल का स्तर   | परिसम्पतियों की     | पावरग्रिड | प्रचालन |
|                    | परिसम्पतियों के | का चयन और डिजाइन इस           | (डीबी(ए))        | चारदीवारी के        |           |         |
|                    | लिए समस्या      | तरह से किया गया है ताकि       |                  | निकट शोरगुल का      |           |         |
|                    |                 | यह सुनिश्चित हो कि उनसे       |                  | स्तर तथा प्रभावित   |           |         |
|                    |                 | किसी भी प्रकार का             |                  | पक्षकारों के साथ,   |           |         |
|                    |                 | न्यूसेंस उत्पन्न नहीं होगी    |                  | (यदि कोई है),       |           |         |
|                    |                 |                               |                  | परामर्श - एक बार    |           |         |